तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 4530 / 2005 / टीए / भरतपुर** **मोहकमसिंह बनाम रूपसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री वैभव पारीक, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय **दिनांकः 1–10–2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर, भरतपुर के प्रकरण संख्या 478/2002 बउनवानी रूपसिह बनाम मोहकमसिंह में पारित निर्णय दिनांक 31–08–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण सुफेदी वगैरा ने परीक्षण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मोहकमसिंह के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भरगरपुर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है। वादीगण का इस आराजी मे 1/12 हिस्सा की सह काबिज खातेदार है। प्रतिवादीगण ने वादीगण से कह दिया कि उसका इस आराजी में कोई हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण वादीगण को उनके पति का हिस्सा देना नहीं चाहते हैं और वादीगण के अधिकार से इन्कार करते हैं। विवादित आराजी का अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है और प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से से इन्कार करते हैं। इसलिए वादीगण को विवादित आराजी में 1/12 हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अलग कायम की जावें एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। दौराने वाद प्रार्थी मोहकम वगैरा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 नियम 2 (1) (2) (ए) (बी) जा0दी पेश कर उक्त उनवानी मुकदमें में गत तारीख पेशी पर तनकियात कायम की जा चुकी है जिनमें से तनकी सं0 6, 7 व 8 कानूनी तनकीयात है तथा न्यायालय के श्रवणाधिकार से व दावा विधि से बाधित होने से संबंधित है जिनका निस्तारण बिना साक्ष्य लिये अन्य तनकियात से पूर्व होना न्याय हित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी साक्ष्य आरम्भ होने से पूर्व कानूनी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/4530/2005/टीए/भरतपुर</u>** **मोहकमसिंह बनाम रूपसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तनकी सं0 6, 7 व 8 पर सुनवाई की जावें। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनकर दिनांक 31-8-2005 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 नियम 2 (1) (2) (ए) (बी) जा0दी खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 31-8-2005 के विरूद्व यह निगरानी प्रार्थीगण मोहकमसिंह वगैरा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी पर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4- दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19-2-2001 में जो तनकीयात कायम कर उन पर निर्णय पारित किया गया है, वह कानूनी है। वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से का जो विक्रय पत्र दिनांक 24-11-2000 को प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में निष्पादित किया गया है, उसे सिविल न्यायालय से निरस्त कराना चाहिए था। निगराकार द्वारा जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में लगाया था उसे परीक्षण न्यायालय द्वारा गलत खारिज किया गया है। अतः परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 नियम 2 (1) (2) (ए) (बी) जा0दी स्वीकार किया जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-8-2005 निरस्त किया जावे। अन्त में निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण/गैर निगराकार ने अभिभाषक निगराकार के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें मोहकमसिंह द्वारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 नियम 2 (1) (2) (ए) (बी) जा0दी का लगाया थ उसमें तनकी सं0 6, 7, 8 कानूनी नहीं है। वाद के विषयक साक्ष्य से ही तय होगें। इसलिए परीक्षण न्यायालय ने जो प्रार्थना पत्र खारिज किया है, वह विधि अनुसार सही खारिज किया है। इसलिए निगरानी खारिज योग्य है। उन्होंने अपने कथन की ताईद में 2012 डब्ल्यू0एल0सी0 पेज 8, 2011 आर0आर0टी0 पेज 1167, 1999 आर0बी0जे0 पेज 285, 2009 आर0बी0जे0 पेज 82, 2009 आर0आर0डी0 पेज 21, आदेश 7 नियम 11, 2002 डब्ल्यू0एल0सी0 सिविल पेज 141,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 4530 / 2005 / टीए / भरतपुर** **मोहकमसिंह बनाम रूपसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

डी0एन0जे0 2000–01 पेज 209, आदेश 7 नियम 11 पेज 141, 2015 आर0आर0टी0 पेज 1195, 2018 आर0बी0जे0 पेज 1 एवं 2015 डी0एन0जे0 पेज 503 के दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

6– उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7– विद्वान सहायक कलक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31–8–2005 में अंकित किया कि वादीगण के कथनों से इन्तफाक रखते हैं तथा तनकी सं0 6, 7 व 8 को पूर्ण रूप से कानूनी तनकी नहीं मानते हैं। उक्त तनकियों का निस्तारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्यों के आधार पर मूल दावे के निस्तारण के समय किया जाना न्याय संगत मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 नियम 2 (1) (2) (ए) (बी) जा0दी खारिज किया जाता है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दावा सं0 478/02 में दिनांक 2–4–2004 को कुल 9 तनकियात बनायी गई जिनमें तनकी नं0 6, 7 व 8 निम्न प्रकार हैं–

तनकी सं0 6– **आया जवाब दावा की मद नं0 9 के अनुसार रेस्ज्यूडिकेटा खारिज है ?**

तनकी सं0 7– **आया जवाब दावा की मद नं0 10 के अनुसार दावा काबिल खारिजी के है ?**

तनकी सं0 8– **आया दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत निरस्त किये जाने योग्य है ?**

9– जवाब दावा की मद सं0 9 में अंकित है कि वाद पत्र की मद सं0 3 व 4 के अभिकथनों के अनुसार दावा रेससबजूडिस धारा 10 जा0दी0 व रेस्ज्यूडिकेटा धारा 11 जा0दी0 से बाधित है और कोई विवाद कारण पैदा न होने से दावा निरस्त होने योग्य है।

10– जवाब दावा की मद सं0 10 में बयनामा को शून्य घोषित करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है। इसलिए क्षेत्राधिकार के अभाव में दावा काबिल खारिजी के है।

11– वाद पत्र की मद सं0 3 में अंकित है कि वादीगण सं0 2 व 3 के हिस्से व हक से प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा इन्कार करने पर वादीगण सं0 2 व 3 ने न्यायालय श्रीमान् में पूर्व में एक दावा सफेदी बनाम मोहकमसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 4530 / 2005 / टीए / भरतपुर** **मोहकमसिंह बनाम रूपसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदि अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था जो न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 19-2-2001 को वादीगण सं0 2 व 3 के हक में स्वीकार करते हुए डिक्री किया जा चुका है और वादीगण सं0 2 व 3 को आराजी वर्णित खण्ड सं0 1 वादपत्र के खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है व अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा किये जाने का आदेश दिया जा चुका है।

12- वादपत्र की मद सं0 4 प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त वाद शीर्षक सफेदी बनाम मोहकम आदि के विचाराधीन काल में चोरी छुपे आराजी वर्णित खण्ड सं0 1 वादपत्र के उसके नाम अंकित 1/3 हिस्से का विक्रय पत्र दिनांक 24-11-2000 को प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के हक में निष्पादित करा दिया है जो कि सब रजिस्ट्रार भरतपुर के यहां पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 378 पृष्ट सं0 135 एवं क्रम सं0 3935 जिसके अतिरिक्त पृष्ठ सं0 552 क0सं0 111 ल0 114 पर पंजीकृत किया गया है। यह विक्रय पत्र वादीगण के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने योग्य है।

13- अतः उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि वादी की एक रिलीफ है कि विक्रयपत्र दिनांक 24-11-2000 को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने की है जो साक्ष्यों के आधार पर ही तय हो सकेगा।

14- तनकी सं0 6, 7, 8 के ऐतराजात प्रतिवादीगण ने बिना जवाब दावा पेश किये प्रार्थना पत्र के माध्यम से पूर्व में उठाये थे जो दिनांक 21-4-2003 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उनका प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए तय कर दिये है। विवादित तनकियात शुद्ध रूप से कानूनी नहीं है बल्कि उनमें विधि एवं तथ्य के मिश्रित प्रश्न है। इसलिए उन्हें बिना साक्ष्य के निस्तारण किया जाना संभव नहीं है।

15- अतः उपखण्ड अधिकारी का निर्णय उचित है कि तनकी सं0 6, 7 व 8 पूर्ण रूप से कानूनी तनकी नहीं है तथा इनका निस्तारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्यों के आधार पर ही मूल दावे के निस्तारण के समय किया जाना न्यायसंगत है। इसलिए निगरानी खारिज योग्य है।

16- अतः प्रार्थीगण की निगरानी खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 31-8-2005 यथावत रखा जाता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 4530 / 2005 / टीए / भरतपुर** **मोहकमसिंह बनाम रूपसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	17- पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 18- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	